(149)

974

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर

Directorate of Town & Country Planning, Chhattisgarh Raipur

मुख्यालय
आर.डी.ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक,
रायपुर – 492 001
दूरभाष – 0771–4066811, 4066812
फैक्स – 0771–4055812
Email : cg_townplan@hotmail.com

HEAD OFFICE :
R.D.A. Building, Shastri Chowk,
Raipur – 492 001
Tel. : 0771 – 4066811, 4066812
Fax : 0771 – 4055812
Email : cg_townplan@hotmail.com

क्रमांक / 863 / टीसीआर–1 / नग्रानि. / 09 रायपुर, दिनांक 5 / 05 / 09

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ0ग0)।

विषय :– रायपुर विकास योजना 2021 में अन्य होटलों के लिए भवन की ऊंचाई के मानक को छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप किये जाने बाबत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2662 / नग्रानि. / पी0एल0–51 / 09, रायपुर दि. 21.4.2009

संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि रायपुर विकास योजना 2021 में अन्य होटल के लिये अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर निर्धारित किये जाने के प्रावधान होने के कारण तथा छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 में 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु क्षेत्रफल 2000 वर्गमी. है परन्तु ऊंचाई की सीमा निर्धारित नहीं की गई के कारण विकास योजना एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों में भिन्नता की स्थिति के कारण पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नाधीन प्रकरण में भवन की ऊंचाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात में दोनों से एक दूसरे को नियंत्रित किया जाता है । विकास योजना में ऊंचाई संबंधी प्रावधान उन आवासीय क्षेत्रों के लिए जहां प्रस्तावित ऊंचाई के अनुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात कम है वहां पर भवन के निर्माण को विकास योजना में ऊंचाई से कन्ट्रोल किया जाता है । जिन क्षेत्रों में फर्शी क्षेत्र अनुपात अधिक प्रस्तावित किया गया है वहां ऊंचाई संबंधी प्रावधान ऊंचे भवनों की सीमा तक प्रभावशील अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से नियंत्रित होगा ।

अतः रायपुर विकास योजना तथा छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अपने आप में स्पष्ट है । तथा उक्त प्रावधानों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
छ0ग0 रायपुर

48 TC-1(09)